

कार्यालय जिलाधिकारी, अयोध्या

(खनन अनुभाग)

संख्या: 1845 / क्वैरी कार्यालय / 2026-27

दिनांक: 13/4/26


उपखनिज साधारण बालू/सिल्ट के निस्तारण/निकासी के लिए ई-निविदा आमंत्रण हेतु सार्वजनिक सूचना :

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या/फाइल नं० 86-01099/51/2023-लखनऊ दिनांक 19.03.2024 में दिये गये निर्देशानुसार जनपद अयोध्या तहसील सदर स्थित राम की पैड़ी के डिलीवरी टैंक में जमी हुई सिल्ट/साधारण बालू को 01 माह की अल्प अवधि में ई-टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से निस्तारण हेतु निम्नवत् उपलब्ध घोषित किया जाता है एवं उपरोक्तानुसार दिनांक ~~22/4/2026~~ से दिनांक ~~29/4/2026~~ सायं 05:00 बजे तक क्षेत्र से सिल्ट / साधारण बालू उठान हेतु www.etender.up.nic.in पोर्टल के माध्यम से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

उपलब्ध ड्रेज्ड मैटिरियल साधारण बालू का विवरण

क्र० सं०	चैनल का नाम	क्षेत्र का जिओक्वार्डिनेट		मात्रा घन०मी० में	साधारण बालू की प्रचलित दर रु० में	न्यूनतम आरक्षित मूल्य रु० में	आरक्षित मूल्य का 25 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी रु० में
		Latitude	Longitude				
1	राम की पैड़ी डिलीवरी टैंक	26.810022 ⁰	82.202931 ⁰	4012.45	80	320996	80249

ई-निविदा की नियम व शर्तें www.etender.up.nic.in पर उपलब्ध है।


जिलाधिकारी,
अयोध्या।

कार्यालय जिलाधिकारी, अयोध्या

(खनन अनुभाग)

संख्या: 1845 / क्वैरी कार्यालय / 2026-27

दिनांक: 13/4/2026

उपखनिज साधारण बालू/सिल्ट के निस्तारण/निकासी के लिए ई-निविदा आमंत्रण हेतु सार्वजनिक सूचना :

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या/फाइल नं० 86-01099/51/2023-लखनऊ दिनांक 19.03.2024 में दिये गये निर्देशानुसार जनपद अयोध्या तहसील सदर स्थित राम की पैड़ी के डिलीवरी टैंक में जमी हुई सिल्ट/साधारण बालू को 01 माह की अल्प अवधि में ई-टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से निस्तारण हेतु निम्नवत् उपलब्ध घोषित किया जाता है एवं उपरोक्तानुसार दिनांक 22/4/2026 से दिनांक 29/4/2026 सायं 05:00 बजे तक क्षेत्र से सिल्ट / साधारण बालू उठान हेतु www-etender-up-nic-in पोर्टल के माध्यम से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

उपलब्ध ड्रेज्ड मैटिरियल साधारण बालू का विवरण

क्र० सं०	चैनल का नाम	क्षेत्र का जिओक्वार्डिनेट		मात्रा घनमी० में	साधारण बालू की प्रचलित दर रु० में	न्यूनतम आरक्षित मूल्य रु० में	आरक्षित मूल्य का 25 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी रु० में
		Latitude	Longitude				
1	राम की पैड़ी डिलीवरी टैंक	26.810022 ⁰	82.202931 ⁰	4012.45	80	320996	80249

शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

- 1- उप खनिज सिल्ट/साधारण बालू के निकासी की अधिकतम अवधि 01 माह तक होगी। जिसमें कोई विस्तार अनुमन्य नहीं होगा।
- 2- सिल्ट/साधारण बालू को हटाने की अधिकतम अवधि 01 माह तक अथवा नदी के जल स्तर बढ़ने, जिससे परिवहन मार्ग अवरूद्ध होने के कारण बालू हटाना सम्भव न हो, जो भी पहले घटित हो मान्य होगा। किसी भी दशा में अवधि का विस्तार नहीं किया जायेगा।
- 3- कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भारतीय हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई-निविदा संलग्न प्रारूप-2 पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बातें होगी:-
 - (क) विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र/सिल्ट / साधारण बालू स्थल विज्ञप्ति किया गया हो।
 - (ख) विज्ञप्ति में क्षेत्र/सिल्ट/साधारण बालू स्थल का क्रमांक।
 - (ग) निविदाकार का नाम व पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई-मेल एवं मोबाइल नम्बर
 - (घ) उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिए उसने निविदा प्रस्तुत की है जिसमें निम्न हो-
 - उपखनिज का नाम -
 - तहसील का नाम -
 - भण्डारण स्थल का नाम/ग्राम -
 - (ङ) निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता स्थाई और वर्तमान, ई-मेल एवं मोबाइल नम्बर (पता के प्रमाण के रूप में निम्न में कोई एक माना होगा आधार कार्ड/ पोटर आई०डी०/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली बिल/बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड, फर्म/ कम्पनी निकाय के लिए चनका पंजीकरण का विवरण)
 - (च) खनिज के प्रति घनमीटर के लिए दी जाने वाली दर, जो खनिज के लिए उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली (यथासंशोधित) 2026 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नहीं होगा।
 - (छ) सिल्ट/साधारण बालू की मात्रा (घ०मी०) को उ०प्र० उपखनिज परिहार (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2026 की अनुसूची-1 में उपखनिज की प्रचलित रायल्टी दर से गुणा कर जो धनराशि आयेगी उसका 25 प्रतिशत के समतुल्य राशि का बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी अयोध्या के पक्ष में अग्रिम रूप में दी जायेगी। बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई-निविदा खोले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि तक

उपलब्ध करानी होगी। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा। उसकी ई-निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।

(ज) खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र

(झ) उस जिले के जिलाधिकारी से जारी चरित्र प्रमाण-पत्र व हैसियत प्रमाण-पत्र जहां यह स्थाई रूप से निवास करता है।

(ञ) पैन कार्ड, जी०एस०टी० एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र।

- 4- ई-निविदा आमंत्रण सूचना दिनांक 22/4/2026 से दिनांक 29/4/2026 को सायं 5:00 बजे तक ई-टेण्डर पोर्टल www.etender.up.nic.in पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई-निविदा अपलोड की जा सकेगी।
- 5- विज्ञप्ति के अनुसार सात कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्यदिवस अर्थात् दिनांक 30/4/2026 को अपराह्न 3:00 बजे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित ई-टेण्डर समिति के सदस्यों द्वारा खोला जायेगा।
- 6- बिन्दु संख्या-3 में उल्लिखित वांछित अभिलेख तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई-टेण्डर के साथ अपलोड किया जाना होगा। यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या-3 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की मूल प्रति खोले जाने से दिनांक निविदा पूर्व प्रति की मूल 30/4/2026 को अपराह्न 12:00 बजे तक जमा करना होगा तथा बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, क्षेत्र तथा ड्राफ्ट का क्रमांक अंकित करना होगा।
- 7- क्षेत्र से निकासी की जाने वाली खनिज के प्रति घ०मी० के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त निविदा समिति की संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा भण्डारित बालू हटाने सम्बन्धी सहमति पत्र (लेटर आफ इन्टेन्ट) जारी किया जायेगा। उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।
- 8- जिलाधिकारी कोई कारण बताये बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।
- 9- सिल्ट/साधारण बालू के स्थल अथवा अन्य किसी जानकारी के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग अथवा कार्यालय सरयू नहर खण्ड अयोध्या से सम्पर्क किया जा सकता है।
- 10- क्षेत्र से निकासी की जाने वाली खनिज के प्रति घनमी० के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन उस क्षेत्र के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त निविदा समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सहमति पत्र (लेटर आफ इन्टेन्ट) जारी किया जायेगा। सहमति पत्र निर्गत होने के दो दिवस के अन्दर अवशेष समी धनराशि जमा करना होगा। अन्यथा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर दी जायेगी, जिसके लिए कोई दावा/प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी।
- 11- निविदाकार को सिल्ट/साधारण बालू स्थल से मुख्य मार्ग तक की व्यवस्था/निर्माण स्वयं के व्यय पर करना होगा। किसी तृतीय पक्ष के विवाद की स्थिति में राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं होगी।
- 12- ई-निविदा में दी गयी दर को गुणाकर वास्तविक धनराशि निकाली जायेगी अग्रिम रूप में जमा 25 प्रतिशत की धनराशि को समायोजित करते हुए शेष धनराशि आदेश निर्गत करने से पूर्व बैंक ड्राफ्ट/कोषागार चालान द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।
- 13- ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा गुणवत्ता एवं भण्डारित स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर निविदाकर्ता स्वयं आश्वस्त हो लें। ई-निविदा में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 14- मा० न्यायालय एवं मा० राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।
- 15- उ०प्र० उपखनिज परिहार (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2026 की अनुसूची-1 में उपखनिज (साधारण बालू) की वर्तमान में प्रचलित रायल्टी दर रूपये 80/-घनमी० है।
- 16- निविदाकर्ता के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र से बालू उठान/परिवहन से यदि किसी तीसरे पक्ष को कोई क्षति पहुँचती है तो उसकी प्रतिपूर्ति हेतु अनुज्ञप्तिधारक उत्तरदायी होगा।
- 17- सिल्ट/साधारण बालू के स्थल पर बालू जहां भी है जिस अवस्था में है उसका सत्यापन स्वयं आवेदक करेगा। टेण्डर स्वीकृत होने के बाद प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

- 18- निर्धारित अवधि में प्राप्त निविदाओं को दिनांक 30/4/2026 को अपराह्न 3:00 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में गठित निविदा समिति के सदस्यों एवं निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोला जायेगा।
- 19- सफल निविदादाता को देय निविदा रायल्टी धनराशि पर 02 प्रतिशत टी०सी०एस०, 10 प्रतिशत जिला न्यास निधि देय होगी।

जिलाधिकारी,
अयोध्या

संख्या- व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
3. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या भूतत्व एवं खनिकर्म।
4. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद अयोध्या को व्यापक प्रचार प्रसार कराने हेतु।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अयोध्या को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति को एन०आई०सी० के विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड, अयोध्या।
7. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट-अयोध्या को मुख्य सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
8. सम्बन्धित समिति के सदस्यों को इस आशय के साथ प्रेषित कि निदेशालय भूतत्व एवं खनिकर्म से डी०एस०सी० मैपिंग कराते हुए ई-टेण्डर की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

4/3/26
जिलाधिकारी,
अयोध्या।